प्रकरण संख्या :— 18/25
तहसीलदार म0 थाना बनाम छीतरलाल वगै0
निर्णय दिनाँक :— 24.04.2026

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 18/25
दायर दिनाँक :— 25.09.2025
निर्णय दिनाँकः— 24.04.2026
उनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

बनाम

छीतरलाल पुत्र प्यारा जाति चमार वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 01. श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, पैरोकार सरकार

—: निर्णय :—

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा सेटलमेंट से पूर्व सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण की गैर—खातेदारी में दर्ज आराजी के स्थान पर राजकीय भूमि गैर—मुमकीन सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मान्याखेड़ी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी ख0 नं0 374, 375, 377 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6512 हैक्टैयर भूमि अप्रार्थीगण के गैरखातेदारी में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। राजस्व ग्राम मान्याखेड़ी तहसील म0 थाना की उक्त प्रश्नगत आराजी कुल किता 03 कुल रकबा 1.6512 हैक्टेयर भू प्रबंधन विभाग द्वारा देव्या पुत्र लक्ष्मण जाति चमार नि0 माग्याखेड़ी तहसील मनोहरथाना की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई जो कि राजकीय भूमि थी जिसे किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था के पक्ष में गैर—खातेदार नहीं किया जा सकता था, सेटलमेंट जमाबंदी में आवंटन आदेश व दिनांक एवं नामान्तकरण संख्या का अंकन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गैर—खातेदारी गलत दर्ज की गई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है जिस हेतु नकल जमाबंदी भी प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मान्याखेड़ी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी ख0 नं0 374, 375, 377 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6512 हैक्टैयर भूमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर अप्रार्थीगण की गैर—खातेदारी के स्थान पर माफी चाकरी देह बलाईगिरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण गैर—खातेदार को जर्ये नोटिस तलब किया गया। संलग्न जमाबंदी संवत 2072—75 के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 02, 4, 9 , 10, व 17 के नोटिस फोत होने की रिपोर्ट के साथ बाद अदम तामील न्यायालय हाजा को प्राप्त हुए। शेष अप्रार्थीगण संख्या 1,3,5,6,8,11 लगायत 16 के नोटिस बाहर रहने की रिपोर्ट के साथ बाद अदम तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 07 के नोटिस बाद

24.4.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

तामिल प्राप्त जो बाद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण को वरियता के आधार पर निस्तारण हेतु रखा जाकर पेरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी एकतरफा बहस में बताया कि मुताबिक पटवारी मोका रिपोर्ट एवं जमाबंदी ग्राम मान्याखेड़ी की प्रश्नगत आराजी ख0 नं0 374, 375, 377 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6512 हैक्टेयर भूमि बंदोबस्त से माफी चाकरी देह बलाईगिरी व कब्जा देव्या पुत्र लक्ष्मण जाति चमार की गैर–खातेदारी में दर्ज हो गई है। उक्त प्रश्नगत आराजी पर गैरखातेदारान का कई वर्षों से कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रश्नगत आराजी ख0 नं0 374, 375, 377 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6512 हैक्टैयर को अप्रार्थीगण की ''गैरखातेदारी'' के स्थान पर '' माफी चाकरी देह बलाईगिरी '' दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पटवारी मौका रिपोर्ट एवं सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी 01जुलाई 1966 से 30 जून 1986 तक की का पूर्ण अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण छीतरलाल वगै0 जाति चमार नि0 माग्याखेड़ी वगै0 जो कि वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है के पूर्वज के नाम बंदोबस्त से पूर्व अवैधानिक तरीक से गैर–खातेदारी में दर्ज हुई थी। चूंकि सैटलमेंट विभाग को माफी बलाईगिरी में दर्ज आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है बावजूद उसके विभाग द्वारा माफी बलाईगिरी की आराजी को अवैधानिक तरीक से गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जो कि नियमानुसार उचित और विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 07 का बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित हो जवाब / उज्र पेश नहीं करना यही दर्शित करता है कि वादग्रस्त आराजी से उन्हे कोई सरोकार नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मान्याखेड़ी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी खाता संख्या 374, 375, 377 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6512 हैक्टैयर जो कि अप्रार्थीगण छीतरलाल वगै0 के नाम वर्तमान में गैरखातेदारी में दर्ज के पूर्वज देव्या पुत्र लक्ष्मण जाति चमार के नाम गैरखातेदारी में अशुद्ध प्रविष्टि दर्ज हुई थी को विधि अनुरूप शुद्ध कर पुनः '' माफी चाकरी देह बलाईगिरी '' में दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील मनोहरथाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

24.4.26

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना